निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–134/15
दायरा दिनांक :–07.10.15
निर्णय दिनांक :– 24.11.22

उनवान

1. चौथमल पुत्रगण छीतरलाल जाति मीणा निवासीगण बरानी तहसील बारां जिला बारां राज0
2. बाबूलाल पुत्रगण छीतरलाल जाति मीणा निवासीगण बरानी तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट एवं
136 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक :– 24.11.22

अभिभाषक उपस्थित :–1.श्री बृजराज किशोर शर्मा एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट एवं 136 राज0 रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बरानी पटवार हल्का बराना तहसील बारां में आराजी खसरा नं0 196 रकबा 3.89 हे0 व खसरा नं0 197 रकबा 0.07 हे0 कुल 2 किता रकबा 3.96 हे0 स्थित है। जिसका साबिक खसरा नं0 129 रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा था। वाद पत्र में उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से वर्णित किया गया है। दौराने सेटमेन्ट उक्त आराजी खसरा नं0 129 रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा का नया नं0 196 रकबा 3.89 हे0 व खसरा नं0 197 रकबा 0.07 हे0 कायम किया गया तथा रिकार्ड में 3 बीघा 07 बिस्वा रकबा कम कर लिया। मौके पर वादीगण अपने 27 बीघा 07 बिस्वा पूर्व रकबे पर काबिज है। और काश्त कर रहे है। सेटलमेण्ट अधिकारियों ने उक्त त्रुटि सहवन से की है। किसी न्यायालय के आदेश अथवा किसी उच्चाधिकारी के आदेश से उक्त रकबा कम नहीं हुआ है। सेटलमेण्ट अधिकारी को उक्त रकबे में कमी करने का कानून कोई अधिकार नहीं है। वादीगण अपने कम हुए रकबे की दुरूस्ती कराकर राजस्व रिकार्ड में उसका सही अंकन करा पाने के अधिकारी है। राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से रिकार्ड में कम दर्ज किये गये रकबे से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। वादी ने हकूक खातेदारी की रक्षार्थ उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

रकबा संशोधित करा पाने के कानूनी अधिकारी है। एवं अपने अधिकारों की घोषणा कराने हेतु नालिशी है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57, नकल जमाबंदी ग्राम बरानी सम्वत् 2068–71 खाता सं0 41, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2038–57 खाता सं0 72, नकल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2011–12 पेश किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी सम्वत् 2032–35 खाता सं0 5 फोटो प्रति मुख्तार खास दिनांक 29.06.84 पेश की गई।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं0 1– आया वाद पत्र की मद नं0 1 में विवादित वर्णित आराजी ख0 नं0 196 रकबा 3.89 हे0, 197 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.96 हे0 वाके ग्राम बरानी का साबिक ख0 नं0 129 रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा था। **–वादीगण**

तनकी नं0 2– आया दौराने सेटलमेंट उक्त आराजी का रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा रिकार्ड में कम कर दिया जबकि मौके पर वादीगण अपने 27 बीघा 07 बिघा रकबे पर काबिज काश्त है। तथा कमी रकबे की पूर्ति करा नया संशोधित नक्शा जारी करा पाने के अधिकारी है। **–वादीगण**

तनकी नं0 3– आया वादीगण के कमी रकबे की पूर्ति किस खाता, ख0 नं0 व खातेदार के खाते से की जावेगी उसे पक्षकार नहीं बनाया अतः वाद खारिज योग्य है।–**प्रतिवादी**

तनकी नं0 4– आया बंदोबस्त में खाता कन्हैयालाल ब्राहमण के नाम दर्ज है। वर्तमान में किस आधार पर वादीगण के नाम दर्ज किया गया है। अंकित नहीं किया है। अतः वाद खारिज योग्य है। **–प्रतिवादीगण**

तनकी नं0 5–अनुतोष क्या होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरानी तहसील बारां में स्थित है। सेटलमेंटके समय खसरा नं0 129 रकबा 27 बीघ 07 बिस्वा का नया खसरा नं0 196 रकबा 3.89 हे0 व खसरा नं0 197 रकबा 0.07 हे0 कायम किया गया। रकबे में 3.07 बीघा रकबा कम कर दिया मौके पर वादी पूरे रकबे पर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त त्रुटि सहवन से की है। जिसे वादी दुरूस्त कराने अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:—

<u>तनकी नं0 1—</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबंदी ग्राम बरानी सम्वत 2068—71 खाता सं0 41 के अनुसार चौथमल, बाबूलाल पुत्रगण श्री छीतरलाल जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2038—56 खाता सं0 72 के अनुसार चौथमल पुत्र छीतरलाल कोम मीणा सान्देह के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सम्वत 2032—35 खाता 5 में कन्हैयालाल बेटा राधावल्लभ कोम ब्राहमण दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038—57 के अनुसार साबिक खसरा नं0 129 के हाल खसरा नं0 186,187 के कुल रकबा 3.96 हे0 दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2—</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल पेश किया जिसमें हाल खसरा नं0 के रकबा दर्ज है तथा साबिक खसरा नं0 का रकबा अंकित नहीं है। इससे यह नहीं बता सकते की खसरा नं0 129 का कुल रकबा कितना था अंकित नहीं है। तहसीलदार बारां के जवाब दावा की विशेष आपत्ति में बताया कि गत ख0 नं0 129 रकबा 27.07 बीघा की रिकार्ड नकलों में वादी का नाम अंकित नहीं है। वादी द्वारा स्वयं के खातेदारी की नकले पेश नहीं की है। वादी द्वारा 0.46 हे0 भूमि कम दर्ज किया होना बताया है। वादी ने जिस खातेदार की भूमि से कमी पूर्ति की जानी है। उसको वाद पत्र मे पक्षकार नहीं बनाया है। नकल जमाबंदी ग्राम बरानी सम्वत् 2032—35 खाता सं0 5 के अनुसार कुल किता 5 रकबा 78.14 बीघा भूमि कन्हैयालाल पुत्र राधावल्लभ कोम ब्राहमण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है। कि वादी द्वारा अपने खाते की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 3—</u>इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी पेरोकार सरकार के जवाब दावे के अनुसार वादी ने यह कहीं नहीं बताया की किस खाता, खसरा नं0 व खातेदार के खाते से कमी पूर्ति की जानी है। वादी द्वारा किस खातेदार की भूमि से कमी पूर्ति की जानी है। उसको वाद पत्र में पक्षकारान नहीं बनाया है। जबकि वादी को पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। तहसीलदार बारां ने अपने जवाब में बताया कि वादी द्वारा अपनी भूमि की कमी पूर्ति किस खाते से व किस खसरा नं0 से की जानी है। वादी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड व दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे वादी की पूर्ति वादीगण द्वारा साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 4– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था नकल जमांबदी ग्राम बरानी सम्वत् 2032–35 खाता सं0 5 में कुल रकबा 78.14 बीघा भूमि कन्हैयालाल पुत्र राधावल्लभ कोम ब्राम्हण के खातेदारी में दर्ज रजि0 है। वादी द्वारा सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी अपने खातेदारी की पेश नहीं की इससे यह साबित होता है कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक नहीं है। वादी द्वारा यह भी नहीं बताया कि खसरा नं0 129 की भूमि किस से ओर आयी है कैसे नाम दर्ज हुई है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है। कि वादी द्वारा विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण रिकार्ड पेश करने में विफल रहे है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह नहीं बताया कि किस खसरा नं0 से कमी करके वादी की भूमि की पूर्ति की जा सके। वादी द्वारा जिस खातेदार की भूमि से कमी कर पूर्ति की जानी है। यह नहीं बताया है कि वादी यह सब साबित करने में विफल रहे है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण दावा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 134/2015	अन्तर्गत 88,89,आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट	निर्णय दिनांकः- 24-11-22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री बृजराज किशोर शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादीः—श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. चौथमल पुत्रगण छीतरलाल जाति मीणा निवासीगण बरानी तहसील बारां जिला बारां राज0
2. बाबूलाल पुत्रगण छीतरलाल जाति मीणा निवासीगण बरानी तहसील बारां जिला बारां राज0

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 —प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24-11-22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य मत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:33:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner